न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **92/19 (वाद)**

GCMS No. : 2019/00156

1. सुश्री विद्या तंवर पुत्री रामलाल नाबालिग बविलायत माता मीनाक्षी पत्नी रामलाल खटीक निवासी विजनवास हाल जवान जी का खेडा तहसील मावली।

............वादीयां

बनाम्

1. श्री बंशीलाल पिता छगना खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
2. श्री रामलाल पिता बंशीलाल खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
3. श्री राजेन्द्र पिता बंशीलाल खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता वादीया।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 11.07.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1910, 1911, 1912, 1934, 1935, 1936, 1937 किता 7 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1908, 1909 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।
2. यह कि उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

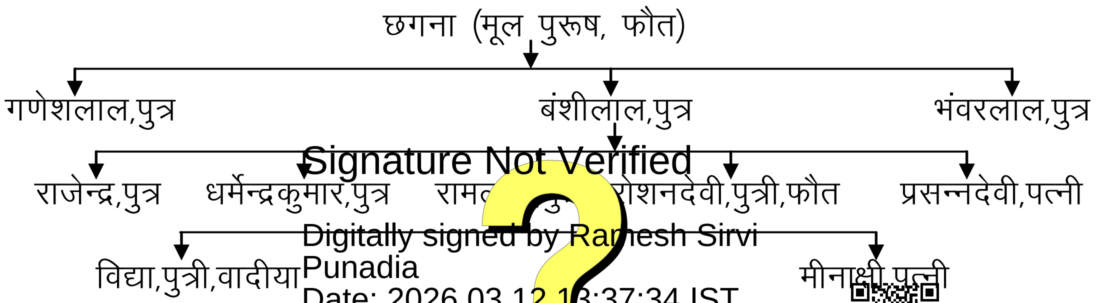

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष छगनाजी थे जिनके तीन पुत्र गणेशलाल, बंशीलाल, भंवरलाल हुए। बंशीलाल के वारिस पुत्र राजेन्द्र, धर्मेन्द्रकुमार, रामलाल (प्रतिवादी संख्या 2), रोशनदेवी एवं प्रसन्नदेवी हैं। रोशनदेवी का निधन हो चुका हैं। रामलाल के वारिसान वादीयां विद्या पुत्री एवं मीनाक्षी पत्नी हैं।

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस छगनाजी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। छगनाजी के देहावसान के पश्चात् उक्त भूमि उनके वारिसान पुत्र गणेशलाल, बंशीलाल (जो वादीयां के दादा हैं) एवं भंवरलाल के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है तथा इन तीनों भाइयों ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमियों का आपसी सहमति बंटवाड़ा कर लिया जिससे उक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई है जो मुझ वादीयां की पैतृक सम्पति होकर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् इसमें मुझ को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का अपने वारिसान के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा कर रखा है और आपसी पारिवारिक बंटवाड़े से मेरे पिता प्रतिवादी संख्या 2 को जो हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है उस पर मुझ वादीयां की ओर से माता श्रीमती मीनाक्षी काबिज हो काश्त कर रही है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं है।

4. यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि पर मुझ वादीयां का अपने पिता प्रतिवादी सं. 2 के हिस्सा भूमि पर अपने हिस्सेनुसार कब्जा है और काश्त करते आ रहे है जिसमें प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा मुझ वादीयां एवं मेरी माता को तंग परेशान किया जा रहा है तथा मुझ वादीयां के पिता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ वादीयां एवं मेरी माता का भरण पोषण भी नहीं किया जा रहा है और अकारण ही हमारा परित्याग कर छोड़ रखा है और मुझ वादीयां एवं मेरी माता के भरण पोषण अदा करने के लिये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब मावली द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश भी दे रखा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आज दिवस तक कुछ भी भरण पोषण राशि अदा नहीं की गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वाद [illegible]षि भूमि में हमारे हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं जो भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1, 2 को खटक रहा है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी सं. 2 (जो प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है) बहला—फुसला कर अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करना चाह रहा है और प्रतिवादी सं. 1 भी प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोग कर अपने नाम अंकित भूमि को हस्तान्तरित करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिये मैं वादीयां वाद पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा भूमि को खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने की अधिकारी हूँ।

5. यह कि मुझ वादीयां का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें मुझ वादीयां को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि मुझ वादीयां के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और मुझ वादीयां को मेरी पैतृक कृषि भूमि से वंचित करने पर आमादा है और हमको भुखें मरने की स्थिति में छोड़ना चाह रहे है और प्रतिवादी संख्या 3, 4 भी इनका सहयोग कर रहे है जबकि उक्त कृषि भूमि ही हमारी आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है। इसलिये मैं वादीयां प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुझ वादीयां को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभेग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, वादीयां को बेदखल नही करे, कब्जा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादीयां को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादीयां के पक्ष में है।

6. यह कि मुझ वादीयां को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 24.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के सिखावे एवं बहकावे में आकर मुझ वादीयां को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Panadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 5 दस्तावेज का पंजीयन करते है, प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व रेकर्ड का मेन्टेन करते है व प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिये पक्षकार बनाये गये है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 5 से 7 राजकीय सेवक है जिन्हें वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु उपरोक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से एवं नोटिस देने में विलम्ब हो जाने की वजह से नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा0दी0 का अलग से आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

7. अन्त में निवेदन किया है कि मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय कि डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात जो मुझ वादीयां की पैतृक सम्पत्ति है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मुझ वादीयां को संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादीयां का नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें। मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में मुझ वादीयां को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग करने देवें, वादीयां को बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, न ही प्रतिवादी सं. 2 से 4 उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 के मार्फत हस्तान्तरित करावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार दस्तावेज पंजीयन कराने/नामान्तरकरण खुलाने हेतु पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे, नामान्तकरण नहीं खोले, न स्वीकृत करे, न ही राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही करे, राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि या उसके अंश को हस्तान्तरित कर राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करा दे[illegible] राजस्व रेकर्ड की वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादीया प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादीया के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 स्वयं वादीयां विद्या तंवर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा विजनवास की नकल जमाबंदी संवत् 2066–69 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 प्रदर्श 2, विद्या के आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 333 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 332 प्रदर्श 5, विद्या के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 6, विद्या के रिपोर्ट कार्ड स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल मावली, जवान जी का खेडा असल प्रदर्श 7 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 7ए, मीनाक्षी (वादीया की माता) के आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 8 करवाये गये।

9. प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादीया स्वयं अपने वाद पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपने दादा बंशीलाल पुत्र छगना के नाम पर दर्ज होना बता रही है। इससे पूर्व वादग्रस्त भूमि बंशीलाल जी के पिता छगनाजी के नाम दर्ज होना बताया है। वादग्रस्त आराजियात छगना भील की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में निहित हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भी प्रथम श्रेणी का वारिस है। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 श्री बंशीलाल के हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित है और प्रतिवादी संख्या 1 श्री बंशीलाल जीवित है। वादीया द्वारा वाद पत्र में यह भी कही अंकित नही किया की प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात वादीया के दादाजी के नाम [illegible] दर्ज हुई तब वादीया का जन्म हुआ था या नही? वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी कही स्पष्ट नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

किया कि वादग्रस्त भूमि किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है। इस संबंध न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादीया को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि " No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed." उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीया को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। यदि वादपत्र में यह स्थिति वर्णित नही है तो किसी भी सम्पत्ति को मौरूसी सम्पत्ति नही माना जा सकता एवं ऐसी स्थिति में वादीया का वाद कोई भी वादकारण दर्शित नही करता है। वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनके भाईयो को अपने पिता से प्राप्त हुई। प्रदर्श 1 वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत ग्राम विजनवास की नकल जमाबंदी संवत 2066–2069 के खाता संख्या 88 पर दर्ज वादग्रस्त आराजीयात दर्ज है। इसी खाता संख्या 88 पर अंकित नोट नामान्तरकरण संख्या 1087 दिनांक 21.02.2011 के अनुसार वादीया के दादा प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनके भाईयो के मध्य विधिवत आपसी सहमति विभाजन होकर विवादित भूमियां वादीगण के दादा बंशीलाल को विभाजन से प्राप्त हुई। तदनुसार वादग्रस्त भूमि वादीया की कोपार्सनरी अथवा सहदायिकी की नहीं रही है। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 6 के प्रावधान पूरी तरह से स्पष्ट है, तदनुसार यदि वादग्रस्त भूमि वादीगण के परदादा के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

की हो तो भी उक्त सम्पत्ति में दादा एवं पिता के जीवनकाल में पौत्र का अधिकार नही होता है। इस प्रकरण में तो भूमि का आपसी सहमति विभाजन होकर वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है, जिससे वादग्रस्त भूमि कोपार्सनरी अथवा सहदायिकी की नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार होना प्रमाणित नही है। **इस संबंध में न्यायिक 2008(2) आर.एल.डब्ल्यू. (आरजे) पेज 1115 अनुसार भूमियों का विभाजन होने के बाद वह संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति नहीं रहती है**, जो इस प्रकरण में राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन हो चुका है। वादीगण का वाद वादीया की प्लीडिंग्स एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 के अनुसार भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 एवं 8 के तहत मेंटेबल नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. सुश्री विद्या तंवर पुत्री रामलाल नाबालिग बविलायत माता मीनाक्षी पत्नी रामलाल खटीक निवासी विजनवास हाल जवान जी का खेडा तहसील मावली।

............वादीयां

बनाम्

1. श्री बंशीलाल पिता छगना खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
2. श्री रामलाल पिता बंशीलाल खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
3. श्री राजेन्द्र पिता बंशीलाल खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 92/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00156

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:34 IST
Reason: SelfAttested